REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

[illegible] शुक्रवार, सितम्बर 24, 1976/आश्विन 2, 1898

[illegible] FRIDAY, SEPTEMBER 24, 1976/ASVINA 2, 1898

[illegible] दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

[illegible] paging given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 24th September 1976

[illegible]/Ess. Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred [illegible] the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central [illegible] hereby makes the following Order further to amend the Sugarcane [illegible] 1966, namely:—

1. [illegible] Order may be called the Sugarcane (Control) Amendment Order, [illegible]

(2) [illegible] come into force at once.

2. [illegible] Sugarcane (Control) Order, 1966,—

[illegible] clause 3, the following clause shall be inserted, namely:—

[illegible] *that can be deducted from the price paid for sugarcane.*—[illegible] A producer of sugar or his agent shall pay, for the sugarcane purchased by him, to the sugarcane grower or the sugarcane growers' cooperative society, either the minimum price of sugarcane fixed under clause 3, or the price agreed to between the producer or his agent and the sugarcane grower or the sugarcane growers' co-[illegible] society, as the case may be (hereinafter referred to as [illegible] agreed price);

Provided that—

(i) in the case of sugarcane delivered at any purchase centre,—

(a) if the sugarcane is transported to the factory by the owner by rail, a rebate of thirty-two paise per quintal shall be made from the minimum price or the agreed price, as the case may be; or

(b) if the sugarcane is transported to the factory by road by the owner on his own transport, a rebate, not exceeding 2.5 paise (two and half paise) per quintal, per kilometer subject to a maximum of thirty-two paise per quintal, shall be made from the minimum price or the agreed price, as the case may be, subject to the condition that a certificate regarding the actual distance from the purchasing centre concerned to the factory and the rate per kilometer applicable in that case on the basis of which the rebate is charged, is obtained from the Central Government, or the State Government, or the Director of Agriculture, or the Cane Commissioner, or the District Magistrate, within their respective jurisdiction.

Explanation.—For the purpose of clause (b), the distance of less than half a kilometer shall be ignored while a distance of half or more than half a kilometer, shall be counted as one kilometer.

(ii) the Central Government or the State Government, or the Director of Agriculture, or the Cane Commissioner, or the District Magistrate may allow a suitable rebate in the minimum price or the agreed price, as the case may be, for burnt cane supplied to factories within their respective jurisdiction, subject to the condition that the rebate so allowed does not exceed the reduction in price on account of the estimated shortfall in the recovery of sugar from burnt cane;

(iii) where the sugarcane is brought bound in bundles and weighed as such, the Central Government, or with the approval of the Central Government, the State Government, or the Director of Agriculture, or the Cane Commissioner, or the District Magistrate, within their respective jurisdiction may allow a suitable rebate in regard to the weight of the binding material not exceeding 0.625 kilograms per quintal of sugarcane; and

(iv) the Central Government, or with the approval of the Central Government, the State Government may allow a suitable rebate in the minimum price or the agreed price, as the case may be, for any other reasons to be specified by the Central Government or the State Government, as the case may be.";

(ii) in the Second Schedule, under the heading "Explanation in this formula", in paragraph 3, for the words "Tariff Commission", the words "such authority as the Central Government may specify" shall be substituted.

[No. 3-1/75/SPY]

S. V. SAMPATH, Jt. Secy.

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली 24 सितम्बर, 1976

सा० का० नि० 815 (अ)/आ० वस्तु०/ईख.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, ईख (नियंत्रण) आदेश, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात :—

1. (1) इस आदेश का नाम ईख (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1976 है।

(2) यह तुरन्त प्रवत्त हो जाएगा।

2. ईख (नियंत्रण) आदेश, 1966, में,—

(i) खण्ड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"3—क वह रिबेट जिसकी कटौती ईख के लिए दी गई कीमत में से की जा सकती है.—चीनी का उत्पादक या उसका अभिकर्ता अपने द्वारा खरीदी गई ईख के लिए ईख उत्पादक अथवा ईख उत्पादक सहकारी सोसायटी को, या तो खण्ड 3 के अधीन नियत ईख की न्यूनतम कीमत या वह कीमत देगा जिस पर उत्पादक या उसके अभिकर्ता और ईख यथास्थिति, ईख उत्पादक अथवा ईख उत्पादक सहकारी समिति के बीच सहमति हुई हो (जिसे इसमें इसके पश्चात् सहमत कीमत कहा गया है) :

परन्तु—

(i) ईख को खरीद के किसी केन्द्र पर परिदत्त करने की दशा में—

(क) यदि ईख कारखाने को स्वामी द्वारा रेल से ले जाई जाती है तो, यथास्थिति, न्यूनतम कीमत या सहमत कीमत में से 32 पैसे प्रति क्विंटल का रिबेट दिया जाएगा, अथवा

(ख) यदि ईख स्वामी द्वारा, उसके अपने परिवहन से सड़क के जरिए कारखाने को लाई जाती है तो रिबेट, यथास्थिति, न्यूनतम कीमत या सहमत कीमत में से प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर 2.5 पैसे (अढ़ाई पैसे) की दर से अधिक नहीं होगा किन्तु अधिकतम रिबेट प्रति क्विंटल 32 पैसे तक दिया जा सकेगा, लेकिन यह इस शर्त पर दिया जा सकेगा कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कृषि निदेशक या गन्ना आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट से, उनकी अपनी अपनी अधिकारिता में, इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाए कि खरीद के संबंधित केन्द्र से कारखाने तक की वस्तुतः दूरी इतनी है और उस मामले में लागू होने वाली प्रति किलोमीटर की दर, जिसके आधार पर रिबेट प्रभारित किया जाता है, इतनी है ।

स्पष्टीकरण—खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए, आधे किलोमीटर से कम की दूरी को छोड़ दिया जाएगा जबकि आधे या आधे किलोमीटर से अधिक की दूरी को एक किलोमीटर गिना जाएगा ।

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कृषि निदेशक या गन्ना आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट, अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर स्थित कारखानों को सप्लाई की गई झुलसी ईख के लिए, यथास्थिति, न्यूनतम कीमत या सहमत कीमत में उपयुक्त रिबेट अनुज्ञात कर सकेगा किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार अनुज्ञात किया गया रिबेट, झुलसी हुई ईख से चीनी की प्राप्ति में प्राक्कलित कमी के कारण कीमत में हुई कमी से अधिक न हो ;

(iii) जहां ईख बण्डलों में बांध कर लाई जाती है और उसी हालत में तौल ली जाती है वहां केन्द्रीय सरकार, अथवा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार, अथवा कृषि निदेशक अथवा गन्ना आयुक्त, अथवा जिला मजिस्ट्रेट, बांधने वाली सामग्री की तौल के संबंध में ईख के प्रति क्विंटल 0.625 किलोग्राम से अनाधिक तक, उपयुक्त रिबेट अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर दे सकेगा; और

(iv) केन्द्रीय सरकार, या केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार, यथास्थिति, न्यूनतम कीमत या सहमत कीमत में, अन्य किन्हीं कारणों से जिन्हें, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा, उपयुक्त रिबेट दे सकेगा ।"

(ii) द्वितीय अनुसूची में, तीसरे पैराग्राफ में 'इस सूत्र का स्पष्टीकरण' शीर्षक के नीचे 'टैरिफ आयोग' शब्दों के स्थान पर 'ऐसा प्राधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे' शब्द रखे जायेंगे ।

[सं० 3-1/75/एस० पी० वाई०]

एस० बी० सम्पथ, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976